

परमेश्वर दयाल बनाम ग्यारसी देवी वगै०
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
 प्रकरण संख्या 23 / 2021 प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आरटीएक्ट

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.02.2022	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रणवीर कपूरिया द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 2/3/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	
	2/3/22	<p>वकील जर्जी उप-1 अज्ञापीठ की वकील हो उकी है। बाइ वकील उप-नही है। वकील जर्जी ने अज्ञापीठ से स्वयं आदेश ले पावर बले है व सिरेख किया। पत्रावली का अल लोकन किया गया। बलस पर तन्म किया गया। फल बाद हरवारा एव स्थानी-ले दियेला का है। अतः अज्ञापीठ में अज्ञापीठ से स्वयं आदेश ले पावर बला उचित समझे है। अतः अज्ञापीठ को मूल मा-ख-न-153 अज्ञा-1557, 1567, 1568, 1573, 1580, 1581, 1621, 1626, 1633, 1820, 1821, 1823 कुल किया 16 एकेला 6-99 है- अज्ञापीठ शाहपुरा वकील को अज्ञापीठ के एवले बिकाई की अज्ञापीठ बनाये एकेले देवे पावर किया जाता है। अ-पब टि फल अज्ञापीठ को न-ब-र ले कात हो। फल बाद के अज्ञापीठ रहे।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	